सरकारी गजट, उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

<u>असाधारण</u>

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

छेहरादून, शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2013 ई0

चैत्र 15, 1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 169/XXXVI(3)/2013/21 (1)/2013

देहरादून, 05 अप्रैल, 2013

<u>अधिसूचना</u>

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामिहम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित "उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोनधन) विधेयक, 2013" पर दिनांक 05 अप्रैल, 2013 को अनुमित प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 26, वर्ष 2013 के रूप में सर्व—साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013 [उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 26 वर्ष 2013]

उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (उत्तराखण्ड अधिनियम 05 संख्या वर्ष 2005) में अग्रेतर संशोधन करने के लिए

		<u>अधिनियम</u>
भारत गणराज्य के चौसव	उवें वर्ष मे	ं उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् रूप में अधिनियमित हो:–
संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड तकनीकी
		विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013 है।
		(2) यह राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना जारी किये जाने की तारीख से
		प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।
धारा २ का संशोधन	2.	उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (जिसे यहाँ आगे
		मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में :
		(एक) खण्ड (ख) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात
	:-	
		''(ख) ''अनुमोदित संस्था'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय / राज्य सरकार
		द्वारा अनुमोदित तकनीकी शिक्षा की संस्था से है;"
		(दो) खण्ड (ण) को निरसति कर दिया गया समझा जायेगा।
धारा ४ का संशोधन	3.	मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) को निम्नवत् प्रतिस्थापित
		कर दिया जायेगा; अर्थात :
		"(1) इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग के लिए
		विश्वविद्यालय की अधिकारिता सम्पूर्ण उत्तराखण्ड को होगी।"
धारा 6 का संशोधन	4.	मूल अधिनियम की धारा 6 में :
		(एक) खण्ड (क) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात् :-
		''(क) तकनीकी शिक्षा में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसन्धान प्रदान कर
		और उनका उन्नयन तथा उद्योगों के घनिष्ठ सहयोग से तकनीकी
		शिक्षा की प्राप्ति के लिए उद्यमिता और सहायक वातावरण का निर्माण
		करना;"

- (दो) खण्ड (ज) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् :"(ज) शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों और समुदायों में तकनीकी शिक्षा की उन्नित के लिए प्राविधान करना."
- धारा 23 का संशोधन 5. मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) को निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात् :-
 - "(1) राज्य में तकनीकी शिक्षा के क्रियाकलापों के प्रभावी समन्वय हेतु, इस विश्वविद्यालय के विशेषतः अध्ययपन, अनुसन्धान, शिक्षा के विस्तार एवं अन्य समान कार्यो के सम्बन्ध में और विश्वविद्यालय के शैक्षिक एवं वित्तीय क्रियाकलापों और कार्यक्रमों के निरीक्षण हेतु राज्य सरकार शिक्षा एवं अनुसंधान हेतु एक परिषद का गठन करेगी, जो "तकनीकी शिक्षा हेतु राज्य समन्वय परिषद" कहलायेगी।"
- धारा 30 का संशोधन 6. मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (3) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात् :-
 - "(3) पूर्ववर्ती उपधाराओं में दी गयी किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार अध्ययन, अध्यापन या अनुसंधान के हित में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखित भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से सम्बन्धित विभिन्न नियामक परिषद्ों के किसी सुझाव या सिफारिश या राज्य या राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर अपने द्वारा किये गये किसी विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए कार्य परिषद् से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नये या अतिरिक्त विनियम बनाने या उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट विनियमों को संशोधित करने या निरसित करने की अपेक्षा कर सकेगी और यदि कार्य परिषद ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन युक्तियुक्त समय में करने में विफल रहे तो राज्य सरकार नये या अतिरिक्त विनियम बना सकेगी या उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट विनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगी।"
 - व्यावृत्ति 7. ऐसे संशोधनों के होते हुए भी मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेगी।

No.169 /XXXVI(3)/2013/21(1)/2013

Daled Dehradun ,April 05,2013

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand Technical University (Amendment) Act, 2013 (Adhiniyam Sankhya 26, of 2013)

As Promulgated by the Governor of Uttarakhand and assented on 05 April, 2013.

The Uttarakhand Technical University (Amendment) Act, 2013 (Uttarakhand Act No. 26 of 2013)

An Act

further to amend the Uttarakhand Technical University Act, 2005 (Uttarakand Act No. 05 of 2005).

.1 е

Be it enacted by the Uttnrakhand State Legislative Assembly in the Sixty fourth year of Republic of India, as follows:--

Short title and	1.	(1)	This Act may be Called the Uttarakhand Technical University
Commencement			(Amendment) Act, 2013.
		(2)	It shall be deemed to have come into force on the date, the
			notification is issued by State Government in the Official Gazette.
Amendment of	2.		In section 2 of the Technical University Act 2005 (hereinafter
Section 2			referred to as principal Act):-
		(i)	Clause (b) shall be substituted as follows; namely:-
			(b) "Approved Institutions' means an institution of Technical
			Education approved by the University/State Government;"
		(ii)	Clause (o) shall be deemed repealed.
Amendment of	3.		Sub-section (1) of section 4 of the principal Act shell be
section 4			Ssubstituted as follows; namely:-
		(i)	The University shall for the purpose of exercising powers under
		(-)	
1 0			this Act have the jurisdiction over the entire Uttarakhand."
Amendment of	4.		In section 6 of principal Act :
Section 6			

(i) clause (a) shell be substituted as follows; namely:-

"(a)to provide for and advancement Technical education, training and Research and to create an atmosphere conducive to entrepreneurship in (ii) clause (h) shall be substituted as follows: namely :--

"(h) to provide for and advancement of Technical education, for the educationally Backward Classes and groups,"

Amendment of Section 23

5.

- Sub-section (1) of section 23 of the principal Act shall be substituted as follows; namely:-
 - (1) For the purpose of effective co-ordination of the Technical Education activities of the University set up in the State particularly in relation to teaching, research, expansion of education and other similar activities and supervision over the academic and financial activities and programmes of the University, the State Government shall constitute a Council for Education and Research to be called the State Coordination Council for Technical Education.:

Amendment of Section 30

- 6. Sub-section (3) of section 30 of the principal Act shall be substituted as follows; namely:-
 - (3) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections, the State Government may in the order to implement any decision taken by it in the interest of learning, teaching or research on the basis of any suggestion or recommendation of the University Grunts Commission or All India Council for Technical education or other various regulatory Councils of related to Professional Education or the State or National Education Policy require the Executive Council to make new or additional Regulation or amend or repeal the Regulation referred to in sub-section (i) or sub-section (2) within the specified period and if the Executive Council fails to comply with such requirement within reasonable time the State Government may make new or additional regulation or amend or repeal the regulation referred to in sub-section (1) or sub-section (2)."

Saving

7. Notwithstanding such amendments anything done or any action taken under the principal Act shall be deemed to have been done or taken under this Act.

By Order

D.P. Gairola Principal Secretary